

इसे वेबसाइट www.govtppressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2016—ज्येष्ठ 20, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्र. 9679-157-इकीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१६.

विषय-सूची:

धाराएँ :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् २००७ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना।
३. धारा ८ का संशोधन.
४. धारा ९ का संशोधन.
५. धारा ९-ख का अन्तःस्थापन.
६. धारा ३९ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१६.

"मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १० जून, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यह, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१६ है।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् २००७ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना।
धारा ८ का संशोधन।

धारा ९ का संशोधन।
धारा १-ख का अन्तःस्थापन।
निजी विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए आवेदन का प्रस्तुत किया जाना।

३. मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (५) का लोप किया जाए।

४. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उपधारा (१) में, शब्द "और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण रिपोर्ट, यदि कोई हो" का लोप किया जाए।

५. मूल अधिनियम की धारा १-क के पश्चात् अध्याय-दो में, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१-ख निजी विश्वविद्यालय किन्हीं कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व निरीक्षण के लिए विनियामक आयोग को विहित प्रूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण के पश्चात् विनियामक आयोग पाई गई किसी न्यूनता के बारे में उक्त विश्वविद्यालय को सूचित करेगा और उसे ठीक करने के लिए उसे एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा। विनियामक आयोग ऐसी कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों को चलाने की अनुमति तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि उस न्यूनता को ठीक नहीं कर दिया जाता।"

धारा ३१ का संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, उपधारा (१) में, प्रारंभ में, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"निगमन के पश्चात् किन्तु प्रथम पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के छह माह के भीतर निजी विश्वविद्यालय के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी रीति में, जैसी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित की जाए, निरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करे।"

भोपाल :

तारीख ९ जून सन् २०१६।

राम नरेश यादव

राज्यपाल,

मध्यप्रदेश।

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्र. 9679-157-इकीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 1 OF 2016

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2016.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Madhya Pradesh Act No. 17 of 2007 to be temporarily amended.
3. Amendment of Section 8.
4. Amendment of Section 9.
5. Insertion of Section 9-B.
6. Amendment of Section 39.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 1 of 2016

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHYADESH, 2016.

First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th June, 2016.

Promulgated by the Governor in the Sixty-seventh year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1.(1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhyadesha, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 17 of 2007 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 to 6.

3. In Section 8 of the Principal Act, sub-section (5) shall be omitted.

Amendment of Section 8.

4. In Section 9 of the Principal Act, in sub-section (1), the words "and inspection report of the University Grants Commission if any" shall be omitted.

Insertion of Section 9-B.

5. After Section 9-A of the Principal Act, the following Section shall be inserted in Chapter II, namely :—

Submission of application by private university for inspection.

"9-B. The Private University shall submit an application in the prescribed format to the Regulatory Commission for inspection before starting any classes or courses, and after inspection, the Regulatory Commission may indicate to the said University, any deficiency found and shall give it a reasonable opportunity to rectify the same. The Regulatory Commission shall not grant permission to run such classes or courses till the deficiency is rectified."

Amendment of Section 39.

6. In Section 39 of the principal Act, in sub-section (1), the following paragraph shall be inserted at the beginning namely :—

"After incorporation of the private university, but within six months of the commencement of first course, it shall be mandatory for the private university to submit an application to the University Grants Commission for inspection, in such manner as prescribed by the University Grants Commission."

Bhopal :
Dated 9th June 2016.RAM NARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.